

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक २ सितम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड से विभिन्न सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-19/2015/350/नौ-5-15-83सा/2009टीसी, दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड मद में प्रावधानित धनराशि से ₹ 225.00 करोड़ के सापेक्ष नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को उनके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कुल ₹ 7045.15 लाख (₹ सत्तर करोड़ पैतालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर निर्गत की गई थी। निर्गत धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	एसपीवी का नाम	सन्दर्भ/विवरण	स्वीकृत धनराशि (धनराशि लाख ₹ में)
1	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा	वायबिल्टी गैप हेतु	1406.64
2	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ	कार्ययोजना के सापेक्ष	2020.00
3	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, कानपुर	बसों के जीपीएच हेतु	354.00
4	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मेरठ	वायबिल्टी गैप हेतु	395.00
5	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद	कैश हानि हेतु	2057.37
6	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वाराणसी	बकाया हेतु	812.14
		योग	7045.15

2- उक्त अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अवमुक्त धनराशि का कार्योत्तर अनुमोदन डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित निधि प्रबन्ध समिति द्वारा प्राप्त किया जाना है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-9291(1)/नौ-5-15-83सा/2009टीसी, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
 - 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
 - 3- प्रबन्ध निदेशक, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।

आज्ञा में,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।